

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] No. 16] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2018/पौष 18, 1939

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2018/PAUSHA 18, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 17(अ).—औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन बनाने का प्रस्ताव करती है। ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पर तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय (औद्योगिक सम्बन्ध नीति विधिक अनुभाग) श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001 को भेजे जा सकेंगे ।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जा सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की अनुसूची की मद 1 में, "परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अविध नियोजन कर्मकार" शब्दों के स्थान पर "नियत अविध नियोजन" शब्द रखे जाएंगे :
- 3. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में,-
 - (क) नियम 5 में, मद (6क) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(6क) नियत अवधि नियोजन कर्मकारों की संख्या":

132 GI/2018 (1)

- (ख) अनुसूची 1 में,-
 - (i) पैरा 2 में,
- (क) उप-पैरा (क) में, मद (3क) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
 - "(3क) नियत अवधि नियोजन कर्मकार";
- (ख) उप-पैरा (ज) में, "परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्दों के स्थान पर "नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे ।
- (ii) पैरा 13 में, उप-पैरा (2) में, "अथवा परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्दों के स्थान पर "अथवा नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ग) (i) अनुसूची 1क में पैरा 3 में,-
 - (क) उप-पैरा (क) में, मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— "(iiiक) नियत अवधि नियोजन";
 - (ख) उप-पैरा (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
 "(घक) 'नियत अविध नियोजन कर्मकार' एक ऐसा कर्मकार है जिसे नियत अविध के लिए ठेकागत
 नियोजन आधार पर लगाया गया है :

परंतु –

- (क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे ;
- (ख) वह स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा । भले ही उसकी नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अवधि तक नहीं बढ़ायी जाती है";
- (ii) पैरा 13 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,-
 - (i) अस्थायी और बदली कर्मकार के मामले में नियोजन समाप्त किए जाने के लिए कोई नोटिस आवश्यक नहीं होगा ; और
 - (ii) नियत अवधि नियोजन आधार पर नियोजित कोई कर्मकार ठेका या नियोजन के नवीकरण न होने या इसकी समाप्ति पर यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किसी नोटिस या उसके बदले में वेतन का हकदार नहीं होगा :

परंतु ऐसा अस्थायी कर्मकार, जिसने तीन मास निरंतर सेवा की हो, को उसका नियोजन समाप्त करने के आशय का दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा, यदि ऐसी समाप्ति उसके नियोजन की संविदा के निबंधनानुसार नहीं है :

परंतु यह और कि जब किसी अस्थायी कर्मकार की सेवाएं, जिसने तीन माह की निरंतर सेवाएं पूरी नहीं की हों, उसको दिए गए नियोजन के निबंधनानुसार पूरा करने से पूर्व समाप्त कर दी जाती हैं तो उसको समाप्ति के कारणों को लेखबद्ध करते हुए सूचना दी जाएगी और जब किसी बदली कर्मकार की सेवाएं, स्थायी पदधारी के कार्य पर वापस लौटने से पूर्व या उसकी (बदली की) नियोजन के निबंधन अनुसार समाप्ति के पूर्व, समाप्त कर दी जाती हैं तो उसे ऐसी समाप्ति के कारणों को लेखबद्ध करते हुए जानकारी दी जाएगी।

[फा.सं. एस-12011/1/2016-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एल.आर. 11(37), तारीख 18 दिसम्बर, 1946 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 976(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2018

G.S.R. 17(E).—The following draft of certain rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken up for consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment (Industrial Relations Policy Legal Section), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period from the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall be considered by the Central Government.

Draft rules

- 1. (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), in Schedule, in item 1, for the words "fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector;"; the words "fixed term employment" shall be substituted;
- 3. In the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946,-
 - (a) in rule 5, for item (6A) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-
 - "(6A) Number of fixed term employment workmen;";
 - (b) in Schedule 1,-
 - (i) in paragraph 2,-
 - (A) in sub-paragraph (a), for item (3A) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-
 - "(3A) fixed term employment workmen";
 - (B) in sub-paragraph (h), for the words "fixed term employment workman in apparel manufacturing sector", the words "fixed term employment workman" shall be substituted.
 - (ii) in paragraph 13, in sub-paragraph (2), for the words "or fixed term employment workman in apparel manufacturing sector,", the words "or fixed term employment workman," shall be substituted.
 - (c) (i) in Schedule 1A, in paragraph 3,-
 - (A) in sub-paragraph (a), after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-
 - "(iiia) fixed term employment";
 - (B) after sub-paragraph (d), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(da) A 'fixed term employment' workman is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period:

Provided that-

- (a) his hours of work, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman;
- (b) he shall be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even if his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute";
- (ii) in paragraph 13, for sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(b) Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),-
 - (i) no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary and badli workmen; and
 - (ii) no workman employed on fixed term employment basis as a result of non-renewal of contract or employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay in lieu thereof, if his services are terminated:

Provided that a temporary workman, who has completed three months continuous service, shall be given two weeks notice of the intention to terminate his employment if such termination is not in accordance with the terms of the contract of his employment:

Provided further that when the services of a temporary workman, who has not completed three month's continuous service, are terminated before the completion of the term of employment given to him, he shall be informed of the reasons for termination in writing and when the services of a badli workman are terminated before the return to work of the permanent incumbent or the expiry of his (badli's) term of employment, he shall be informed of the reasons for such termination in writing."

[F.No. S-12011/1/2016-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number LR 11(37), dated the 18th December, 1946 and were lastly amended by notification G.S.R. No. 976(E), dated the 7th October, 2016.